XXX-Part-21

W-495/09
B 07-7-09

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **01/07/06/20562/09**

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुभाष शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति समिति जो महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड पिपरिया तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 07/07/2009 को पंजीयित की गई है।

दिनांक सात माह जुलाई सन् **2009**

7/7/09
(आशोक नागर)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार

अ.रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

मुद्रा

W-293/09

XXX-Part-23

प्रारूप क्रं.1

(देखिए नियम 3)

सुभाष

समितियों के पंजीयंन हेतू ज्ञापन पत्र

(1) संस्था का नाम...~~एसवीएस~~ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति होगा...

(2) संस्था का कार्यालय...महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया तह. पिपरिया जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश.

(3) **समिति के उद्धेश्य निम्नलिखित होगें:–**

(1) शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।

(2) कम्प्यूटर संबधित तकनीकि का ज्ञान देना व प्रचार प्रसार करना।

(3) पिछड़े क्षेत्रों में लोगो को शिक्षा एवं कम्प्यूटर के लिए प्रोत्साहित करना।

(4) प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना एवं सहायता दिलाने की व्यवस्था करना।

(5) नैतिक शिक्षा एवं सामाजिक स्तर को उठाना।

(6) महिला विकास तथा सिलाई आदि कार्य सिखाना एवं सामाजिक विकास एवं उत्थान के लिए स्वास्थ सुधार चिकित्सा,वाचनालय,पौषणहार, आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

(7) बच्चों के शिक्षा के माध्यम से शारिरिक,मानसिक एवं वैधिक आध्यात्मिक विकास करना।

(4) समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक *परिषद्, संचालको, सभा या शासी–निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है:–

क्रं. (1)	नाम पिता / पति का नाम (2)	नाम (3)	पूर्ण पता (4)	धन्धा (5)
1.	सुभाष शुक्ला पिता श्री शंभुदयाल शुक्ला	अध्यक्ष	8, विश्वामित्र भवन महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया,तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	कम्पयूटर शॉप
2.	सुनील शुक्ला पिता श्री शंभुदयाल शुक्ला	उपाध्यक्ष	8, विश्वामित्र भवन महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया,तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	शिक्षा
3.	शंभुदयाल शुक्ला पिता स्व.बाबूलाल शुक्ला	कोषाध्यक्ष	8, विश्वामित्र भवन महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया,तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	रिटायरमेट
4.	अर्पिता शुक्ला पति श्री सुभाष शुक्ला	सचिव	8, विश्वामित्र भवन महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया,तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	गृहणी
5.	सचिन शर्मा पिता श्री गोपाल प्रसाद शर्मा	~~सह~~–सचिव संयुक्त	13, थाने के सामने साड़िया रोड़ गली नं. 3 पिपरिया तहसील पिपरिया ,जिला होशंगाबाद	नौकरी
6.	सुभाष वाडिया पिता श्री गया प्रसाद वाडिया	सदस्य	26 मेन रोड़ पेट्रोल पंप के सामने बाबई तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद	शिक्षक
7.	नीरज विरथरिया पिता श्री ओ0 पी0 विरथरिया	सदस्य	14 सांडिया रोड़ गली नं. 3 पिपरिया तहसील पिपरिया,जिला होशंगाबाद	शिक्षक

पंजीयन के समय ज्ञापन पत्र में दर्शित यह तदर्थ पदाधिकारियों की सूची वैधानिक नहीं है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

समिति के इस ज्ञापन–पत्र के साथ समिति के विनियमों का एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, सल्गन है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निमार्ण उपरोक्त ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है। तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है।

क्रं. (1)	निमार्णकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता / पति के नाम सहित (2)	हस्ताक्षर (3)
1. 8	सुभाष शुक्ला पिता श्री शंभुदयाल शुक्ला विश्वामित्र भवन महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	SShukla
2. 8	सुनील शुक्ला पिता श्री शंभुदयाल शुक्ला विश्वामित्र भवन महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	SSunil
3. 8	शंभुदयाल शुक्ला पिता स्व.बाबूलाल शुक्ला विश्वामित्र भवन महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	SShukla
4. 8	अर्पिता शुक्ला पति श्री सुभाष शुक्ला विश्वामित्र भवन महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	Arpita.
5. 12	सचिन शर्मा पिता श्री गोपाल प्रसाद शर्मा थाने के सामने साड़िया रोड़ गली नं. 3 पिपरिया, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	Sachin
6. 26	सुभाष वाडिया पिता श्री गया प्रसाद वाडिया मेन रोड़ पेट्रोल पंप के सामने बाबई, तहसील बाबई जिला होशंगाबाद	सुभाष वाडिया
7. 14	नीरज विरथरिया पिता श्री ओ0 पी0 विरथरिया सांडिया रोड़ गली नं. 3 पिपरिया, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद	Neeraj Birtharia

ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

*जो अनावश्यक हो उसे काटिये।

शुल्क रूपये 1400 चालान नं. / रसीद नं. 5/12084157/10/
दिनांक 31-8-09 द्वारा पटाया गया है। यह मूल
दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक 5-9-09
सहायक के हस्ताक्षर

साक्षी

हस्ताक्षर Birij Tomar

नाम Birij Tomar

पूर्ण पता Kasturba bard H.No 141, Thaseel pipariya, Dis Husangabad

अध्यक्ष

सचिव Arpita.

कोषाध्यक्ष

अति. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल
5/9/09

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 12AA 155611

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

ज्ञापन / विधान की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर

संस्था का नाम ग्राम्य शिक्षा एवं ग्राम कल्याण समिति, भिण्ड

रजि. क्र. 20762 दिनांक 2.2.09

सहायक के हस्ताक्षर

8/9/09

असि. रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

8/09

W-293
D.8-909

उन्नीस (कं.)/पंजी. कं. 56

नियमावली

(1) संस्था का नाम...~~एसबीएस~~ सुभाष शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति होगा...

(2) संस्था का कार्यालय...महाराणा प्रताप वार्ड सांडिया रोड़ पिपरिया तह. पिपरिया जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश.

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र..सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(4) **समिति का उद्धेश्यः–**

(1) शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।

(2) कम्प्यूटर संबधित तकनीकि का ज्ञान देना व प्रचार प्रसार करना।

(3) पिछड़े क्षेत्रों में लोगो को शिक्षा एवं कम्प्यूटर के लिए प्रोत्साहित करना।

(4) प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना एवं सहायता दिलाने की व्यवस्था करना।

(5) नैतिक शिक्षा एवं सामाजिक स्तर को उठाना।

(6) महिला विकास तथा सिलाई आदि कार्य सिखाना एवं सामाजिक विकास एवं उत्थान के लिए स्वास्थ सुधार चिकित्सा,वाचनालय,पौषणहार, आदि कार्यकमों का संचालन करना।

(7) बच्चो के शिक्षा के माध्यम से शारिरिक,मानसिक एवं वैधिक आध्यात्मिक विकास करना।

(5) **सदस्यता–** संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें –

(अ) **संरक्षक सदस्यः–** संस्था का जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1000/– या अधिक एकमुश्त या एक साल में 12 किश्तों में देगा वह संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्यः–** जो संस्था के दान के रूप में रूपये 500/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य 500/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्यः–** जो व्यक्ति रूपये 5 /– माह रूपये 60/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देय देगा वह साधारण सदस्य होगा, साधारण केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसे चन्दा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी. ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन–पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

सहा. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

(द) **सम्माननीय सदस्यः—** संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा क बैठक में भाग ले सकते है, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) **सदस्यता की प्राप्तिः—** प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा, ऐसा आवेदन—पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन—पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) **सदस्यों की योग्यताः—** संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :—

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो, (2) भारतीय नागरिक हो,

(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो, (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो.

(8) **सदस्यता की समाप्ति :—** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :—

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था का देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग—पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर. (5) चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके पारित होने की सुचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी.

(9) **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगेः—**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय.

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.

(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो

(10) (अ) **साधारण सभाः—** साधारण सभा में नियम 5 दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे. साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी. परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी. बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी. बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा, संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा, संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह आम संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबन्धकारिणी सभा — प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य का भेजी जाना आवश्यक होगी, बैठक में

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौपें जाए,

(च) संस्था की सम्स्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी,

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नही की जाएगी,

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विर्मश कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्तीकृति हेतू प्रस्तुत करेगी, साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदित हेतू भेजा जावेगा।

(15) **अध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धीकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा, अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा,

(16) **उपाध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा,

(17) **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :– (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन–पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तूत करना,

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना, उनका निरीक्षण करना व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना,

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 500/– करने का अधिकार होगा।

(18) **कोषालय के अधिकार** :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना,

(19) **बैक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों होगा दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपयें 500/– रहेगें।

(20) **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगीं,

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होगा है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न ळोगी,

(स) विशेष – यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों कि संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शन विषय पर विचार करने के लिये साधारण बैठक बुलायी जावेगी, विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा, पंजीयक का इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा,

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :– (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृति करना, (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना, (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परिक्षकों की नियुक्ति करना, (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकरणी द्वारा प्रस्तुत हो. (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना (छ) बजट का अनुमोदन करना

(12) प्रबन्धिकरणी का गठन :– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे, नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टार में दर्ज हों बैंठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा :–

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2

(13) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निमार्ण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा,

(14) प्रबन्धिकरणी के अधिकार व कर्त्तव्य :– (अ) जिन उद्येश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना,

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष सधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना,

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भूगतान करना,

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना,

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

(21) **संशोधन** :— संस्था के विधान में संसोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं का होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

(22) **विघटन** :— संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा, विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी, उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रवधानों के अनुसार की जावेगी,

(23) **सम्पत्ति** :— संस्था की समस्त चल तथा संस्था के नाम से रहेगी, संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी,

(24) **बैंक खाता** — संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा एवं समय —समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी,

(25) **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** — संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, साथ ही यह बैठक में विचारर्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(26) **विवाद** — संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण को सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा, यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के, निर्णय के लिये भेज सकेंगे, रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा, संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ,

प्रमाणित प्रति
शुल्क रूपये 140 चालान नं. / रसीद नं. 3/120841-57/101
दिनांक 31-8-09 द्वारा पटाया गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक 5-9-09

सहायक के हस्ताक्षर

असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

शाकंमुमो–313–उनिशाकेमुमो––19–5–2002–20,000.

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 12AA 155612

ASSTT. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

ज्ञापन / विधान की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर

संस्था का नाम ग्रामीण शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति (म) पिपरिया

पंजी. क्र. 20362 दिनांक 2-7-09

सहायक के हस्ताक्षर

8/9/09

असि. रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

CEDMAP
COMPUTER EDUCATION
PIPARIYA CENTER - 1
CEDMAP iT ACADAMY
Independent Business Associate of CEDMAP IT Academy (CITA)
CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT MADHYA PRADESH (CEDMAP)
उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप)
(Sponsored by Govt of M.P. Central Financial Institution And Lead Banks of the State)
Address :- Cedmap Computer Centre, Sandia Road, PIPARIYA (M.P.) Mob. 9893468032

Regd. No. CITA/IBA/46-PIP/101

प्रमाण-पत्र

सुभाष शिक्षा एवं समाज कल्याण समीति द्वारा छात्रों को नि:शुल्क कम्प्यूटर हार्डवेयर त्रिमाही प्रशिक्षण दिया एवं छात्रों को सर्टीफिकेट दिये गये। तथा अन्य उपयोगी कैरियर संबंधी जानकारीयाँ दी।

इन सभी कार्यो की हम सराहना एवं अनुशंसा करते है।

दिनाँक:-03/11/2009
स्थान: पिपरिया

Director & I.B.I.
03/11/09
CEDMAP IT ACADEMY
CENTER PIPARIYA - 1
DIST. H'BAD (M.P.)

CEDMAP COMPUTER EDUCATION
PIPARIYA CENTER - 1

CEDMAP iT ACADAMY

Independent Business Associate of CEDMAP IT Academy (CITA)
CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT MADHYA PRADESH (CEDMAP)
उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप)
(Sponsored by Govt of M.P. Central Financial Institution And Lead Banks of the State)
Address :- Cedmap Computer Centre, Sandia Road, PIPARIYA (M.P.) Mob. 9893468032

Regd. No. CITA/IBA/46-PIP/101

अनुशंसा-पत्र

सुभाष शिक्षा एवं समाज कल्याण समीति (SESWS) के द्वारा बनाया गया E Portal को प्रयोगिक तौर पर अपने कम्प्यूटर सेन्टर में प्रस्तुत किया गया एवं इसके अन्दर निहित जानकारी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। कम्प्यूटर संबंधित जानकारी हिन्दी में होने के कारण समझने में आसान है। इसमें कठिन कम्प्यूटर विषयों को बहुत सरल ढंग से समझाया गया है।

हम इस E Portal की अनुशंसा करता हूँ है। एवं कामना करते है कि इस E-Portal की सहायता से हमें उपयोगी जानकारी उपलब्ध होती रहेगी।

दिनांक: 25/07/2009
स्थान: पिपरिया

25/07/09
Director & I.B.A.
CEDMAP IT ACADEMY
CENTER PIPARIYA - 1
DIST. H'BAD (M.P.)

ठाकुर दास नागवंशी
विधायक
मध्यप्रदेश विधान सभा
क्षेत्र क्र. 139
पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
मो. : 9893204407

कार्यालय
शोभापुर रोड, सरदार वार्ड
पिपरिया, जिला – होशंगाबाद (म.प्र.)
फोन : 07576-220221
निवास
भगत सिंह वार्ड, बेनर्जी कॉलोनी
पिपरिया, जिला – होशंगाबाद (म.प्र.)
भोपाल
एम.एल.ए. विश्राम गृह
खण्ड 1/69-70
फोन : 0755-2440765

क्रमांक ......1066......

दिनांक ...~~2/3/~~...... 3/12/09

अनुशंसा पत्र

— x —

विधान सभा क्षेत्र पिपरिया के नवयुवकों द्वारा शिक्षा एवं समाज कल्याण को दृष्टिगत रखते हुये, अपनी संस्था सुभाष शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति के द्वारा शिक्षा को लोक व्यापी करने हेतु ई प्रोजेक्टर के द्वारा शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया है, यह कार्य सराहनीय है मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

शुभ कामनाओं के साथ

8/3/3/17
(ठाकुरदास नागवंशी)
"विधायक"
विधान सभा क्षे० क्र० 139
पिपरिया (म०प्र०)

INCOME TAX PAN SERVICES UNIT

(Managed by National Securities Depository Limited)

3rd Floor, Sapphire Chambers, Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune – 411 045.

The Income Tax Department takes pleasure in informing that the PAN allotted to you is :

AAFAS1518M

and the PAN card is enclosed herewith. Further, for filing the return of income, please contact :

INCOME TAX OFFICER - 1, ITARSI

Quoting of PAN on return of income and challans for payment of taxes is necessary to ensure accurate **credit of taxes paid by you and faster processing of** return of income. Moreover, quoting PAN on all other communications with the department will help to improve taxpayer services.

We may inform that it is **mandatory to quote PAN** in several transactions specified under the Income Tax Act, 1961. For further details of such transactions, reference is invited to rule 114B of the Income Tax Rules, 1962 read with section 139A of the Income Tax Act, 1961.

In the unlikely event of **more than one PAN being allotted**, this fact should be brought to the notice of your Assessing Officer, as **possessing or using more than one PAN is against law** and may attract **penalty of upto Rs. 10,000/-.**

Any errors in the data printed on your PAN Card may be brought to the notice of IT PAN Services Unit at the address given above and on the reverse of the PAN Card.

Income Tax Department

PKG ID : PRC / 00007 / 23082010_02 / BLU

BPL / 31 / 292301029343141191 / 41043185

SUBHASH SHIKSHA AVAM SAMAJ KALYAN SAMITI

MAHARANA PRATAP WARD, SANDIYA ROAD,
TEH PIPRIYA, HOSHANGABAD,
MADHYA PRADESH - 461111
TEL NO.: 91 - 9926376720

OTHER ADDRESS (ES)

SUBHASH SHIKSHA AVAM SAMAJ KALYAN SAMITI

SUBHASH SHIKSHA AVAM SAMAJ KALYAN SAMITI.
MAHARANA PRATAP WARD, SANDIYA ROAD PIPRIYA.
C/O SUBHASH SHUKLA, TEH PIPRIYA,
HOSHANGABAD.
MADHYA PRADESH - 461111

MAHARANA PRATAP WARD, SANDIYA ROAD PIPRIYA.
C/O SUBHASH SHUKLA, TEH PIPRIYA,

(This being a computer-generated letter, no signatures are required)

CP-00404